

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अडसठ'

[28/7/2016] 235

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

---:000:---

--आदेश--

भोपाल, दिनांक

क्रमांक 1515/2012/42-1 :: केरियर संवर्धन योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर पदोन्नति की कार्यवाही भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 8 नवम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र कार्यरत शिक्षकों की केरियर संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राध्यापक के पद पर पूर्व में पदोन्नत अं० मोहन सेन एवं डॉ० आर.एस.राजपूत के पदोन्नति आदेश के पुनरीक्षण हेतु भर्ती नियम 2004 की कंडिका-10 के अंतर्गत प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाता है:-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल अध्यक्ष
2. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल सदस्य
3. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन। सदस्य
4. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर सदस्य
5. श्री जे.एस.किलनाकर, उप संचालनालय तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल सदस्य

(के.आर.मेहर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 15-3-16

क्रमांक 440 /1515/2012/42-1
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल। की ओर इन निर्देशों के माध्यम से सामन्वय स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र पुनरीक्षण हेतु समिति की बैठक आमंत्रित करें।
4. सर्वसंबंधित समिति के सदस्यों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, M.P.

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

4TH FLOOR, SATPURA BHAWAN, BHOPAL- 462004

Ph. 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website : www.mpachedu.org, E-Mail : dtemp@mp.nic.in

क्रमांक/2016/वनिस/321

भोपाल, दिनांक : 12 अप्रैल 2016

::: आदेश :::

* * *

शासनादेश क./1515/2012/42-1, भोपाल दिनांक 15.03.16 के द्वारा दो प्राध्यापकों के पदोन्नति आदेशों के पुनरिक्षण हेतु समिति गठित की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 08.11.2012 एवं दिनांक 06.01.2016 के प्रावधानों एवं संशोधनों के आधार पर उक्त दो प्राध्यापकों (एसोशिएट प्रोफेसर) एवं अन्य समस्त प्रकरणों के Career Advancement Scheme के तहत प्रोफेसर के पद पर स्थानापन्न हेतु आवेदनों का परीक्षण कर उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार परीक्षण समिति का गठन किया जाता है:-

1. डॉ. उमेश पेंडारकर, प्राचार्य, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन।
2. प्रोफेसर राजीव चांडक, प्राध्यापक, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर।
3. प्रोफेसर अतुल स्थापक, प्राध्यापक, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन।

समिति शासनादेश में उल्लेखित दोनों प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों से संबंधित नस्तियां संचालनालय से प्राप्त कर परीक्षण कर अपनी अनुशासार्थ दिनांक 30.04.2016 के पूर्व संचालनालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी।

संलान:- उल्लेखित शासनादेश की प्रति

(डॉ. आशीष डोंगरे)

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2016/वनिस/322

भोपाल, दिनांक : 12 अप्रैल 2016

प्रतिलिपि:- 1. अपर सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

✓ 2. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन/जबलपुर।

3. संयुक्त संचालक, उपविभाग-2, संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, भोपाल-की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. समिति के सदस्यगण-

डॉ. उमेश पेंडारकर, प्राचार्य, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन।

प्रोफेसर राजीव चांडक, प्राध्यापक, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर।

प्रोफेसर अतुल स्थापक, प्राध्यापक, शा. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन -की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश